

परिशिष्ट-दो

विधानसभा तारिकित प्रश्न क्रमांक 5732

परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दावेदारों द्वारा कुल 753 दावे प्रस्तुत किये गये, जिसमें 396 व्यक्तिगत अधिकार पत्र एवं 30 सामुदायिक अधिकार पत्र, इस प्रकार कुल 426 अधिकार पत्र विवरित किये गये हैं, तथा 145 दावे अमान्य किये गये हैं, वर्तमान में 21 ग्रामों के 182 दावे निराकरण हेतु शेष हैं। निरस्त दावों के पुनः परीक्षण हेतु विस्तरीय खानबीन समिति द्वारा कार्यवाही गतिशील है। ग्रामवार शेष दावों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	शेष दावे
1	खुरमुट्टी	खुरमुट्टी	10
2	महेगाव माल	महेगाव माल	10
3	सिधई	सिधई	12
4	बघोली	बघोली	10
5	बनई	खलौली	3
6	सिलनी	सिलनी	10
7	गानाटोला	परसाटोला	8
8	पानारझोड़ी	पानारझोड़ी	2
9	भमाड़ी	पानारझोड़ी	5
10	दीनी	दीनी	12
11	भीड़ी	भीड़ी	10
12	कनई	कनई	10
13	झिरिया	झिरिया	12
14	खरपड़िया	खरपड़िया	8
15	ठमा	ठमा	10
16	फतेहपुर	फतेहपुर	10
17	अमवाही	अमवाही	9
18	डूडगाव	डूडगाव	7
19	सीताडूंगरी	सीताडूंगरी	9
20	बाटा	बाटा	5
21	टिकरिया	टिकरिया	10
		योग	182

सहायक न्यायिक अधिकारी
आदिश जॉर्ज क्षेत्रीय विकास योजनाएं
मध्य प्रदेश

परिशिष्ट-तीन

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5732

अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त दावों के निराकरण/मान्यता की कार्यवाही निरंतर चल रही है। मुख्य सचिव म.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठकों में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। अभी तक राज्य स्तरीय निगरानी समिति की 13 बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बैठक दिनांक
1	4 मार्च 2008
2	17 जून 2008
3	26 सितम्बर 2008
4	21 अक्टूबर 2009
5	25 मई 2010
6	26 नवम्बर 2010
7	8 जुलाई 2011
8	2 फरवरी 2012
9	21 जनवरी 2013
10	13 अगस्त 2013
11	6 फरवरी 2014
12	4 अगस्त 2014
13	2 जुलाई 2015

सहायक नियोजन अधिकारी
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ
मध्यप्रदेश